

वन विभाग

विधि

१० फरवरी, १९३०

सं १११५/१४-३३१-५०-उत्तर प्रदेश के राजमाल मालिकों का मत है कि इंडियन कांस्टीट्यूट एक्ट १९२७ (एक्ट सं १६, १९२७) की धारा २६ की उपधारा (३) के अधीन अपेक्षित जंगल तथा अभिलेखित जंगल में इनका अधिक समय लगेगा कि इस क्षेत्र राज्य सरकार के अधिकारों को खतरा हो सकता है। अतः इसका उपाय के प्रतिबंधक द्वारा और उपर्युक्त एक्ट की धारा २०-ए के साथ मिलाकर उक्त धारा के उपधारा (१) द्वारा प्रतिष्ठित अधिकारों का प्रयोग केवल उत्तर प्रदेश के राजमाल मालिकों के लिये ही करते हैं कि इस प्रकार बांध तथा अभिलेखित करने तक उक्त एक्ट के उपधारा ३ के अन्तर्गत संलग्न सूची में उल्लिखित भूमि पर लागू होंगे।

सूची

नाम जहाँ

दूरी मील, फीट और फीट में

चिह्न

१-मेड-बागपत रोड

३ मील से ३१ मील २ फीट

मिति की जमा

२-बागपत-सहायपुर

१ मील से २४ मील २ फीट

जमा की गयी है

३-बागपत-जौनी-साहदारा

शून्य से १७ मील तक ०.२६६ फीट तक

४-मेड-मुजाना

२ मील से १७ मील

५-मेड-जुल्लुशहरा

२ मील से २६ मील तक

६-मेड-बागपत रोड

४१ मील से ५५ मील तक

७-मेड-बागपत रोड

८७० मील से ८७३ मील तक

८-मेड-बागपत-कासटीकरी

१ मील से ६ मील तक

९-मेड-बागपत-रोज

शून्य से २ फीट ०१.०६ फीट तक

१०-मेड-बागपत-रोज फीट

शून्य से ६४० फीट तक

११-मेड-बागपत-रोज फीट

शून्य से ४ फीट ०१.० फीट तक

१२-मेड-बागपत रोड

२, ४२६ से १२, ३, ३२०

१३-मेड-बागपत रोड

०, ०, ० से ६, ४, २६०

१४-मेड-बागपत-मेनामद रोड

२३ मील से ३१ मील ३ फीट ०.२०० फीट तक

१५-मेड-बागपत रोड

१ से ६ मील

१६-मेड-बागपत रोड

२३ मील से ३१ मील ३ फीट ०.२०० फीट तक

१७-मेड-बागपत रोड नं २४

२३ मील ६ फीट से २५ मील १ फीट ३ फीट तक

१८-मेड-बागपत-बागपत रोड

८७४ मील से ५४८ फीट से ८७६ मील २ फीट

१९-मेड-बागपत-बागपत रोड

७० फीट तक

२०-मेड-बागपत-बागपत रोड

१ मील से २१ मील ६ फीट ०.२०० फीट तक

प्रतिपादित

१/१/१७

विस्तृत

आमात्रक वानिकी प्रश्न

यागार



